

**न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल**  
**(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)**

एम0जे0सी0 क्र0 05/17  
 संस्था0 दि0 01/03/07  
फाईलिंग न0 233504000042007

1. मानिकराव पिता गणपत, उम्र 59 वर्ष,
  2. गुलाबराव पिता गणपत, उम्र 56 वर्ष
  3. बट्टीनाथ पिता गणपत, उम्र 53 वर्ष  
 तीनों निवासी खापाखतेड़ा,  
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
  4. श्रीमती बैनाबाई पिता गणपत पति गुलाबराव पारखे  
 उम्र 50 वर्ष, निवासी सोनेगांव,  
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- .....आवेदकगण

// **विरुद्ध** //

1. सुभाष पिता मारोतीराव, उम्र 38 वर्ष
  2. राजेंद्र उर्फ राजू पिता मारोतीराव, उम्र 30 वर्ष  
 दोनों निवासी थाने की पीछे आमला,  
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
  3. श्रीमती गंगाबाई पिता रघुनाथ पति जगन्नाथ  
 उम्र 45 वर्ष, निवासी बम्हणी,  
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- .....अनावेदकगण

**आदेश**

**(आज दिनांक 07.12.2017 को पारित)**

1 इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है।

2 प्रकरण में यह निर्विवादित है कि विविध व्यवहार वाद क्र. 4/98 दिनांक 07.02.2007 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया था।

3 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की ओर से एक आवेदन अंतर्गत धारा 2बी न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो कि आवेदकगण की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर से आदेश की नकल पेश करने हेतु नियत था। उक्त प्रकरण में आवेदक क्र. 02 एवं 03 की कृषि कार्य में व्यस्तता एवं आवेदक क्र. 04 के अपने ससुराल में निवासरत रहने से प्रकरण

में पैरवी करने हेतु अन्य आवेदकगण की ओर से आवेदक क. 01 को अधिकृत किया गया था। नियत दिनांक 07.02.2007 को आवेदक क. 01 न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तैयार हुआ था परंतु अचानक से उसका ब्लड प्रेशन बढ़ जाने के कारण वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं था जिस वजह से वह नियत तिथि को प्रकरण में अनुपस्थित रहा। आवेदक के द्वारा अपनी बीमारी की सूचना अधिवक्ता को फोन पर दे दी गयी थी परंतु अधिवक्ता पुकार के समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाये जिस कारण से विविध वाद प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रकरण में आवेदकगण जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहे हैं। अनुपस्थिति का उचित एवं पर्याप्त कारण है। फलतः आवेदन स्वीकार कर विविध वाद प्रकरण पुनः नंबर पर कायम किया जावे।

4 अनावेदकगण की ओर से उक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि आवेदक क. 01 को अन्य आवेदकगण ने अधिकृत नहीं किया था। नियत दिनांक को आवेदक के ब्लड प्रेशन बढ़ जाने से उसकी न्यायालय में अनुपस्थिति का कारण उचित नहीं है। आवेदक जानबूझकर पेशी पर नहीं आया था और न ही अधिवक्ता को बीमारी की सूचना उसके द्वारा दी गयी थी। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

5 विविध व्यवहार वाद क. 4/98 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आहूत किया जा चुका है। उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

6 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या विविध व्यवहार वाद की सुनवायी तिथि पर आवेदकगण की अनुपस्थिति के पर्याप्त आधार है?"

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

### विचारणीय प्रश्न का निराकरण

7 आवेदन एवं उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में मूल विविध वाद क. 4/98 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्रस्तुत किये जाने एवं तर्क हेतु नियत था। आवेदकगण की ओर से उपर्युक्त हेतु लगभग 12 अवसर लिये गये एवं उपर्युक्त कार्यवाही हेतु ही प्रकरण दिनांक 07.02.2007 को नियत था परंतु उपर्युक्त तिथि को आवेदकगण के अनुपस्थित रहने के कारण आवेदन न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया था।

8 आवेदक के द्वारा मूल विविध वाद क. 4/98 में नियत तिथि दिनांक 07.02.2007 को अनुपस्थित रहने के संबंध में इस प्रकरण में आवेदक मानिकराव ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह प्रकरण में नियत दिनांक को ब्लड प्रेशन बढ़ जाने से उपस्थित नहीं हो पाया था। मुख्य परीक्षण में साक्षी ने यह भी बताया है कि अन्य आवेदकगण उसके भाई उसी के साथ रहते हैं तथा बहन ससुराल में रहती है।

वह अपने भाई-बहनों की ओर से न्यायालय में प्रकरण में उपस्थित होता था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अपनी बीमारी के संबंध में कोई भी ईलाज संबंधी दस्तावेज पेश न करना बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि उसके द्वारा उसकी बीमारी की सूचना फोन पर अधिवक्ता को दे दी गयी थी। सूचना दिये जाने के बाद भी अधिवक्ता न्यायालय में क्यों उपस्थित नहीं हुए इसकी उसे सूचना नहीं दी गयी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि वह और उसके भाई अर्थात् अन्य आवेदकगण एक साथ ही रहते हैं परंतु नियत दिनांक को स्वास्थ्य ठीक न होने से उसके भाई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि उसके भाई-बहन अर्थात् अन्य आवेदकगण के द्वारा उसके पक्ष में मुख्यारनामा नहीं लिखा गया था।

9 आवेदक मानिकराव के द्वारा न्यायालय में नियत दिनांक को प्रकरण में अनुपस्थित रहने के संबंध में स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो जाना बताया गया है परंतु कोई भी चिकित्सकीय दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह प्रकट हो कि उक्त तिथि को साक्षी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। साथ ही आवेदक मानिकराव के साथ अन्य आवेदकगण गुलाबराव एवं बद्रीनाथ भी साथ रहते थे। नियत दिनांक को आवेदक मानिकराव का स्वास्थ्य ठीक न होने पर शेष आवेदकगण में से किसी के भी उपस्थित न होने के संबंध में भी पर्याप्त कारण या साक्ष्य आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं सूचना उपरांत भी अधिवक्ता के न्यायालय में प्रकरण में नियत दिनांक को अनुपस्थित रहने के संबंध में भी कोई उचित कारण आवेदन या साक्ष्य से दर्शित नहीं हो रहा है।

10 आवेदकगण की ओर से आवेदन समय सीमा में प्रस्तुत किया गया है परंतु उपर्युक्त विवेचना अनुसार दिनांक 07.02.2007 को अनुपस्थिति का बताया गया कारण पर्याप्त दर्शित नहीं हो रहा है। परिणामतः आवेदकगण को विविध व्यवहार वाद क्र. 4/98 को पुनर्स्थापित करने की सहायता प्रदान की जाना उचित नहीं है। परिणामतः आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

11 आवेदकगण आवेदन के निराकरण का व्यय स्वयं वहन करेंगे व अनावेदकगण का भी व्यय वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा  
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल



